न्यायालयः– औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल कुमार सक्सेना

राज0 न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रकरण संख्या–आई.टी..आर. संख्या–04/2012(42/2014)

(लक्षित प्रकरण संख्या–9)

राजस्थान सरकार, श्रम विभाग द्वारा प्रेषित अधिसूचना संख्या एफ.1(1)(950)/श्र.नि./2011 दिनांक–14.05.2012

क्र. स.	नाम	क्र. स.	
1	एस.सी. कौशिक पुत्र तेजाराम निवासी ई–625 रणजीत नगर भरतपुर	2	सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री पूरन चन्द शर्मा निवासी केतन गेट के पास भरतपुर
3	घनश्याम शर्मा पुत्र मौहर सिंह निवासी सहयोग नगर भरतपुर	4	विमल कुमार जैन पुत्र सोहनपाल निवासी एकता विहार कोलोनी भरतपुर
5	रामनगीना पुत्र रामस्वरूप निवासी तरछापार जिला बलिया उ0प्र0	6	रामवचन पुत्र शिवकूजन निवासी सहयोग नगर भरतपुर
7	नन्हे पुत्र बुद्धा निवासी आनंद नगर भरतपुर	8	हरीदास पुत्र प्रभुदयाल निवासी सहयोग नगर भरतपुर
9	साहबसिंह पुत्र धवल सिंह निवासी धाऊ पायसा भरतपुर	10	मनोहर सिंह पुत्र बेदरिया निवासी हथैनी जिला भरतपुर
11	मोतीलाल पुत्र नन्दलाल निवासी श्याम नगर भरतपुर	12	भोजराज पुत्र तोताराम निवासी रणजीत नगर भरतपुर
13	जे.पी. माथुर पुत्र प्रभुदयाल निवासी वासन दरवाजा भरतपुर	14	पूरनसिंह पुत्र कन्हैयालाल निवासी मालौनी जिला भरतपुर
15	नवल सिंह पुत्र गनपत निवासी जिरौली तह0 व जिला भरतपुर	16	उदयवीर शर्मा पुत्र एस.सी. शर्मा निवासी गोपालगढ भरतपुर
17	जसवंत सिंह पुत्र मवासी निवासी वसंत विहार कोलोनी भरतपुर	18	रमेश चन्द शर्मा पुत्र घनश्यामदास निवासी सहयोग नगर भरतपुर
19	साहब सिंह पुत्र पन्ना लाल निवासी एकता विहार कोलोनी भरतपुर	20	परभाती पुत्र छीतो निवासी ग्राम बझेरा जिला भरतपुर

21	प्रेमचन्द पुत्र बाबूलाल निवासी गिर्राज कोलोनीं भरतपुर	22	प्रतापसिंह पुत्र कल्याणसिंह निवासी कर्नल धीरीसिंह के पास गोपालगढ भरतपुर
23	जयचन्द पुत्र इन्द्रपाल शर्मा निवासी कैलाशपुरी रेल्वे कोलोनीं भरतपुर	24	राधेश्याम पुत्र रामचन्द्र निवासी गोपालगढ भरतपुर
25	शिवचरन पुत्र दीपचन्द निवासी हसैला तह0 किरावली जिला आगरा	26	महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी हसैला तह0 किरावली जिला आगरा
27	भगवानसिंह पुत्र रामसरन निवासी ग्राम बिलौंठी जिला भरतपुर	28	फगुनीं पुत्र अंगना निवारी ग्राम जिरौली जिला भरतपुर
29	सुम्मेरी पत्नी परभाती निवासी ग्राम मेहंदी बाग का नगला जिला भरतपुर	30	ताराचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी लक्ष्मणगढ जिला अलवर
31	सोरन पुत्र सूखा निवासी हसैला तह0 किरावली जिला आगरा	32	बनैसिंह पुत्र परसादी निवासी ग्राम सोगर जिला भरतपुर
33	दीपचन्द पुत्र बाबूलाल निवासी नमक कटरा भरतपुर	34	रामकिशन पुत्र दीपचन्द निवासी हसैला तह0 किरावली जिला आगरा
35	भूपसिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सोगर जिला भरतपुर	36	पुत्तूलाल पुत्र भोलेराम निवासी अवध कोलोनीं भरतपुर
37	कौरी शंकर पुत्र रघुवीर निवासी सिमको लेबर कोलोनीं भरतपुर	38	आर.एन. पौद्धार पुत्र मदनमोहन निवासी कमला रोड भरतपुर
39	रामगोपाल पुत्र दौजी निवासी एकता विहार कोलोनीं भरतपुर	40	सोनी पुत्र केशरिया निवासी सिमको लेबर कोलोनीं भरतपुर
41	रामनाथ पुत्र भोलानाथ निवासी आर्य समाज रोड भरतपुर	42	अमीरचन्द पुत्र गणेशीलाल निवासी हाऊसिंग बोर्ड कोलोनीं भरतपुर
43	अमोल कुमार मिश्रा पुत्र रामचरण निवासी जयन्ती नगर भरतपुर	44	निर्मल कुमार पुत्र रामभरोसी निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर
45	संतशरण पुत्र सूखराम निवासी गोपालगढ भरतपुर	46	डी.एन.शर्मा पुत्र टेगरी शर्मा निवासी गॉधी नगर भरतपुर
47	महबूब अली पुत्र अयूब अली निवासी खैर जिला अलीगढ उ0प्र0	48	रामजीलाल पुत्र मातादीन निवासी हाउसिंग बोर्ड कोलोनीं भरतपुर
49	बलवीर पुत्र हरगोपाल निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर	50	हरीसिंह पुत्र रामचन्द्र निवासी गोपालगढ भरतपुर
51	देवेन्द्र कुमार पुत्र बनवारी लाल निवासी नीम दरवाजा भरतपुर	52	बाबूलाल पुत्र के.पी.जैन निवासी गोपालगढ भरतपुर
53	उदयवीर पुत्र इन्दर लाल निवासी गोपालगढ भरतपुर	54	करतार सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी रंजीतनगर भरतपुर

55	रामप्रकाश पुत्र भीकम निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर	56	बृजगोपाल पुत्र श्यामलाल निवासी सूरजपोल गेट भरतपुर
57	तेजसिंह पुत्र बोदन सिंह निवासी नमक कटरा भरतपुर	58	श्रीराम पुत्र नत्थीलाल निवासी गोपालगढ भरतपुर
59	रमेश चन्द पुत्र हुकम सिंह निवासी सहयोग नगर भरतपुर	60	सुमित कुमार पुत्र मंगलसिंह निवासी बासन गेट भरतपुर
61	वासदेव पत्रु रघुप्रसाद निवासी सिमको लेबर कोलोनीं भरतपुर	62	योगेन्द्र पुत्र रामजीलाल निवासी गोपालगढ भरतपुर
63	सतीश कुमार पुत्र उत्तम कुमार निवासी शिव नगर भरतपुर	64	विजयभान सिंह पुत्र भगवानसिह निवासी खेरापति मौहल्ला भरतपुर
65	अगलू पुत्र रागेश्वर निवासी ग्राम उउईला जिला सिवान (बिहार)	66	सफीक खान पुत्र हाविक खॉन निवासी कुम्हेर गेट भरतपुर
67	लीलाधर पुत्र चेतराम निवासी सहायोग नगर भरतपुर	68	गोकुल पुत्र बालमुकुन्द निवासी गोपालगढ भरतपुर
69	रूपसिंह पुत्र पूरन निवासी गोपालगढ भरतपुर	70	संत कुमार पुत्र बैनीं प्रसाद निवासी गोपालगढ भरतपुर
71	रामलखन पुत्र रघुनाथ निवासी आदर्श नगर भरतपुर	72	चन्दनसिंह पुत्र गोकुल निवासी नमक कटरा भरतपुर
73	चौधरीसिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी नगला हरचन्द पोस्ट सोगर जिला भरतपुर	74	कृष्णस्वरूप पुत्र जौहरी लाल निवासी रंजीत नगर भरतपुर
75	सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी इकतारापुर जिला झुनझुनू	76	गिर्राज पुत्र वक्ता निवासी ग्राम जघीना जिला भरतपुर
77	उमेश चन्द पुत्र विशम्बर दयाल निवासी सिमको लेबर कोलोनीं भरतपुर	78	मोहन सिंह पुत्र रामनाथ निवासी ढोलापुरा जिला भिण्ड (म0प्र0)
79	रमाशंकर पुत्र बंशीसिंह निवासी गाजीपुर (बिहार)	80	बनवारी लाल पुत्र लालाराम निवाी सहयोग नगर भरतपुर
81	पूरनचन्द पुत्र पन्नालाल निवासी सहायोग नगर भरतपुर	82	अर्जुन सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी बिनोवा नगर सादावाद जिला हाथरस (उ0प्र0)
83	गज्जो पुत्र सुखराम निवासी ग्राम मालोनीं जिला भरतपुर	84	अब्दुल करीम पुत्र मौहम्मद खा निवासी रंजीत नगर भरतपुर
85	भजनलाल पुत्र मटौली निवासी ग्राम मालोनी जिला भरतपुर	86	नत्थीलाल पुत्र रामजीलाल निवासी अवध कोलोनीं भरतपुर
87	ओमप्रकाश पुत्र अशर्फीलाल निवासी मथुरा गेट भरतपुर	88	शिवसिंह पुत्र प्रभुदयाल निवासी एकता विहार कोलोनीं भरतपुर
89	विशनदास पुत्र विशम्भर दयाल निवासी रंजीत नगर भरतपुर	90	लीलाराम पुत्र चिरंजीलाल निवासी नमक कटरा भरतपुर

91	एच.के. वर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा निवासी पी.जी.वी. साईन्स कॉलेज के पास जिवाजीगंज लश्कर (म0प्र0)	92	श्यामलाल शर्मा पुत्र दुर्गालाल निवासी सिद्धार्थ नगर जयपुर
93	लीलाधर पुत्र मंगल निवासी ग्राम पीपला जिला भरतपुर	94	रामप्रताप पुत्र रघुवीर निवासी सिमको लेबर कोलोनी भरतपुर
95	पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र हरीशंकर निवासी रंजीत नगर भरतपुर	96	चरन सिंह देवी सिंह निवासी बराखुर जिला भरतपुर
97	विजेन्द्र सिंह पुत्र बदनसिंह निवासी ग्राम बछामदी जिला भरतपुर	98	जवाहर लाल पुत्र राजू लाल सैनी निवासी चिडावा जिला झुन्झुनू
99	बी.के.मिश्रा पुत्र मुरारी लाल निवासी सिमको लेबर कोलोनी भरतपुर	100	श्रीमती रमा जैन पत्नी कमल कुमार निवासी रंजीत नगर भरतपुर
101	श्रीमती सम्पत्ती पत्नी मदन सिंह निवासी नमक कटरा भरतपुर	102	श्रीमती नत्थो पत्नी बृजलाल निवासी ग्राम मालोनी जिला भरतपुर
103	श्रीमती शशिकांता पत्नी मूलचन्द निवासी रंजीत नगर भरतपुर	104	श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी मुरारी निवासी बासन गेट भरतपुर
105	श्रीमती कामिनी पत्नी प्रेमसिंह निवासी इन्द्रानगर कोलोनी भरतपुर	106	श्रीमती भगवानदेई पत्नी मंगतूराम निवासी सुभाष नगर भरतपुर
107	श्रीमती दर्शन पत्नी जय भगवान निवासी सहायोग नगर भरतपुर	108	श्रीमती कृष्णा पत्नी विमल बल्लभ निवासी कैलाश पुरी रेल्से स्टेशन के पास भरतपुर
109	राजेन्द्र कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी जयन्ती नगर भरतपुर		

...प्रार्थीगण

बनाम

फैक्ट्री मैनेजर, सिमको बिरला लि0 भरतपुर (राज0) ....अप्रार्थी

निर्देश/विवाद अन्तर्गत धारा–10(1)(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से प्रतिनिधि : श्री रामगोपाल सैनी

अप्रार्थी की ओर से प्रतिनिधि : श्री अमरचन्द

पंचाट

दिनांक–24.03.2026

1. राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे अग्रिमतः 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा–10 उपधारा(1) के खण्ड (ग) सपठित धारा–12(5) के तहत हस्तगत औधोगिक विवाद इस न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णयन हेतु निम्नाकिंतानुसार प्रेषित किया गया थाः–

> ''क्या प्रार्थीगण सर्वश्री एस.सी. कौशिक पुत्र श्री तेजराम एवं 104 अन्य सेवानिवृत श्रमिक (जिनका विवाद अध्यक्ष एवं एस. ई.डी. एम्पलाईज लेबर यूनियन, भरतपुर ने प्रस्तुत किया है) अप्रार्थी नियोजक फैक्ट्री मैनेजर, सिमको बिरला लि0 भरतपुर से संलग्न अनेक्चर ''अ'' के मुताबिक संवेतनिक अवकाश, बोनस, डीयरनैस एलाउन्स व एफ.डब्ल्यू.एफ की बकाया राशि एवं ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हॉ, तो क्या अप्रार्थी द्वारा श्रमिकगण को उक्त भुगतान नहीं किया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं, तो श्रमिकगण किस राहत को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?''
> संलग्नः–अनेक्चर ''अ''

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थीगण अप्रार्थी संस्थान में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। प्रार्थीगण की अप्रार्थी पर संवेतनिक अवकाश, बोनस, डी.ए, एल. डब्ल्यू. एफ की राशि बकाया है। जिनका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अतः इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी से उपरोक्त वर्णित राशियों का भुगतान मय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिलवाया जावे।

3. अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति यह की गई है कि जो विवाद अभिनिर्णित करने के लिये न्यायालय हाजा को भेजा गया है, उसमें श्री एस.सी. कौशिक का नाम अंकित नहीं है।

तथा अन्य कई प्रार्थीगणो का नाम रेफरेंस सूची में नहीं है। अतः उन्हें क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संस्थान के सभी श्रमिकों को चुकता हिसाब के चैक उनके नामों से बनाकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भेजे गये थे। संस्थान द्वारा श्रमिकों को चुकता भुगतान करने की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में दी गई थी। लेकिन कुछ श्रमिक जानबूझकर चुकता हिसाब लेने नहीं आये। जवाब की मद संख्या 8 में उन श्रमिकों की सूची दी गई है जिन्होने अपना चुकता हिसाब प्राप्त कर, अप्रार्थी को प्राप्ति रसीद दे दी है। कुछ अन्य श्रमिकों की मृत्यु के उपरान्त उनकी वेवा पत्नियों ने चुकता हिसाब प्राप्त कर लिया है। जिन प्रार्थीगणों ने संस्थान के रिकार्ड के अनुसार अपना चुकता हिसाब प्राप्त नहीं किया है उन्हें अप्रार्थी भुगतान एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा देने के लिये तैयार व तत्पर है।

4. मौखिक साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से भीम मीणा के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा अप्रार्थी की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा गया।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का आध्योपान्त परीशीलन किया गया एवं सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. दौराने बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तगण द्वारा यह जाहिर किया गया है कि कुल 109 श्रमिकों में से अधिकांश को अप्रार्थी द्वारा चुकता भुगतान किया जा चुका है तथा कुछ श्रमिक ऐसे है जिनके द्वारा क्लेम पेश ही नहीं किया गया है फिर भी उनके नाम इस विवाद में सम्मलित कर लिये गये है। दोनों ही पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि जिन व्यक्तियों को पूर्व में भुगतान कर दिया गया है, उनकी हद तक क्लेम खारिज कर दिया जावे तथा

जिन व्यक्तियों ने अपना क्लेम पूर्व में अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके नाम इस प्रकरण के शीर्षक में सम्मलित कर दिये गये हैं उनकी हद तक भी क्लेम को खारिज कर दिया जावे। तथा शेष बचे श्रमिकों द्वारा जो अनुमानित क्लेम बोनस, वेतन सहित अवकाश एवं महगाई भत्ते बाबत किया है उसमें से जो भी राशि उचित पायी जावे उसका भुगतान अप्रार्थी द्वारा कर दिया जायेगा।

7. उभयपक्षों के विद्धान अधिवक्तागण की उपरोक्त सहमति के उपरान्त पत्रावली की विस्तार से जॉच की गई जिसके अनुसार कुल 114 व्यक्तियों की हद तक रेफरेंस किया गया था। इसमें से कुल 12 श्रमिक ऐसे है जिन्होंने क्लेम पेश ही नहीं किया तथा कुल 21 श्रमिक ऐसे है जिनको अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तथा 81 श्रमिक ऐसे है जिनकों पूर्व में भुगतान किया जा चुका है।

8. जिन श्रमिकों ने अपने क्लेम पेश नहीं किये है वे निम्नानुसार है :

क्र.स. नाम श्रमिक	रेफरेंस सूची क्रमांक
01. शकुन्तला पत्नी रूपसिंह	01
02. हुकम सिंह पुत्र रामलाल	08
03. गोपीलाल पुत्र करन सिंह	13
04. भोला	24
05. महेश चन्द पुत्र रामप्रसाद	42
06. लीलाधर पुत्र चेतराम	47
07. भीमसिंह चौधरी	54
08. एल.एन लोहिया पुत्र जे.के लोहिया	56
09. नानू सिह पुत्र मिलाप सिंह	72
10.मोहन स्वरूप पुत्र रामचन्द्र	81
11.परसराम पुत्र ऋतुकरन	92
12. चूरामन पुत्र सरदार सिंह	97

चूंकि उपरोक्त 12 व्यक्तियों द्वारा अपने क्लेम पेश नहीं किये गये है। अतः उनकी हद तक उक्त श्रमिकों के विरूद्ध विवाद रहित अवार्ड पारित किया जाता है।

09. उक्त 81 व्यक्ति जिनकों पूर्व मे भुगतान किया जा चुका है उनकी हद तक क्लेम खारिज किया जाता है।

10– निम्नलिखित श्रमिकगण जिनके नाम रेफरेंस में सम्मलित है तथा जिनके द्वारा क्लेम पेश किया गया है लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हुआ है उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	नाम श्रमिक/क्लेमेंट	रेफरेंस नम्बर	क्लेम क्रमांक
1	मंजू शर्मा पत्नी मुरारी लाल शर्मा	02	104
2	नत्थो पत्नी स्व0 बृजलाल	07	102
3	भूपसिंह पुत्र प्रताप सिंह	14	35
4	तारा चन्द पुत्र लखमी चन्द	17	30
5	पूरन चन्द पुत्र पन्नालाल	25	81
6	बलवीर पुत्र हरगोपाल	33	49
7	भजन लाल पुत्र मटोली	36	85
8	दीप चन्द पुत्र बाबूलाल	49	33
9	लीलाधर पुत्र मंगल	55	67
10	सोनी पुत्र केशरिया	70	40
11	शिवचरन पुत्र दीपचन्द	74	25
12	विशनदास पुत्र विशम्बर दयाल	75	89
13	परभाती पुत्र छीतो	80	20
14	ओमप्रकाश पुत्र असरफी लाल	93	87
15	महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह	99	26
16	वासुदेव पुत्र रघुवीर	101	61
17	विजयभान पुत्र भगवान	104	64
18	गज्जो पुत्र सुखराम	106	83

19	रामनगीना पुत्र रामरूप	107	05
20	अल्गू पुत्र नागेश्वर	108	65
21	सोरन पुत्र सूखा	110	31

उभयपक्षों की सहमति से उपरोक्त वर्णित 21 व्यक्तियों को बोनस, वेतन सहित अवकाश एवं महगाई भत्ते बाबत प्रस्तुत अनुमानित क्लेम में से देय होने वाली वाजिब राशि नियमानुसार अप्रार्थी दो माह के भीतर अदा करे।

उभयपक्षों की सहमति के आधार पर उक्त रेफरेंस का निस्तारण इसी रूप में किया जाता है।

11. परिणामतः निम्नानुसार पंचाट पारित किया जाता है :–

अतः 21 प्रार्थीगण को अप्रार्थी नियमानुसार मिलने वाली राशि का दो माह में भुगतान करेगा। उक्त राशि को अप्रार्थी द्वारा 2 माह में अदा नहीं करने पर प्रार्थीगण मिलने वाली राशि पर पंचाट दिनांक से भुगतान किये जाने की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त प्रकार से रेफरेंस का उत्तर दिया जाकर पंचाट पारित किया जाता है।

''पंचाट की प्रति प्रकाशन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित हो।''

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0

पंचाट आज दिनांक–24.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अतुल कुमार सक्सेना)
न्यायाधीश,
औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
भरतपुर राज0